निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1947 (श0)
(सं0 पटना 1347) पटना, बुधवार, 13 अगस्त 2025

सं० 5/सी0आर0–104/2021—1455
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प
4 फरवरी 2025

विषयः–भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन के आलेखन हेतु प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार का निर्धारण के संबंध में।

पी0ए0आर0 नियम, 2007 में निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के सभी स्तरों के पदधारकों का वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) के आलेखन हेतु प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार का निर्धारण किया जाना अनिवार्य है। उक्त प्रावधान के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–3943, दिनांक–10.05.2012, संकल्प संख्या–6199, दिनांक–01.08.2012, संकल्प संख्या–6698, दिनांक–12.08.2014, संकल्प संख्या–5447, दिनांक–18.07.2016, संकल्प संख्या–440, दिनांक–18.01.2017, संकल्प संख्या–8496, दिनांक–27.09.2018, संकल्प संख्या–4436, दिनांक–06.06.2019, संकल्प संख्या–6429, दिनांक–06.08.2019, संकल्प संख्या–7829, दिनांक–19.09.2019, संकल्प संख्या–10233, दिनांक–29.11.2019, संकल्प संख्या–4439, दिनांक–05.05.2022 एवं संकल्प संख्या–11238, दिनांक–24.09.2024 द्वारा बिहार संवर्ग के कतिपय संवर्गीय एवं गैर संवर्गीय पदों के विरुद्ध कार्यरत भा0पु0से0 के पदाधिकारियों का वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु प्राधिकारों का निर्धारण किया गया है।

2. अतः भारतीय पुलिस सेवा के पदधारक यथा–पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय चयन पर्षद, बिहार, पटना एवं पुलिस उप–महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय चयन पर्षद, बिहार, पटना का वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) आलेखन हेतु प्राधिकार का निर्धारण अबतक नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के उक्त पदधारकों के वार्षिक कार्य निष्पादन

मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) आलेखन हेतु प्राधिकारों का निर्धारण निम्नरुपेण किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

क्र0 सं0	प्रतिवेदित पदाधिकारी	प्रतिवेदक प्राधिकार	समीक्षी प्राधिकार	स्वीकरण प्राधिकार
1.	पुलिस महानिदेशक / अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय चयन पर्षद, बिहार, पटना।	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना।	मुख्य सचिव, बिहार।	मुख्यमंत्री, बिहार।
2.	पुलिस उप–महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय चयन पर्षद, बिहार, पटना।	अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद, बिहार, पटना।	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना।	मुख्यमंत्री, बिहार।

3. यह व्यवस्था तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगी।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार दास,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1347-571+100-डी0टी0पी0
Website: : https://egazette.bihar.gov.in